

कार्यालय अंचल अधिकारी, राहे(राँची)

पत्रांक :- 317(Ci).....

दिनांक:- 07/07/2021

अंतिम स्मार

अंतिम नोटिस

सी०सी०नं०- 183/1999-2000

नोटिस बनाम :- घसीराम मुण्डा, पिता- टुहलू मुण्डा,
ग्राम- नावाडीह, पोस्ट- नावाडीह।

बजरिये नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि नीलाम पत्र
वाद सं०- 21/2001-02 में आपके ऊपर 12984/- रुपये जमा किया जाना था, परंतु
अब तक आपके द्वारा राशि जमा नहीं किया गया है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त राशि जमाकर रसीद
इस कार्यालय में दिनांक-17.07.2021 को जमा करें अन्यथा आप पर प्राथमिकी
दर्ज एवं सम्पति जब्त कर ली जायेगी और सारी जबाबदेही स्वयं आपकी होगी।

इसे सख्त ताकीद समझें

1
राहे

अंचल अधिकारी,
राहे(राँची)।

Sum



स्वयं लगे के अनुसार जमाने की नवाडीह
में घसीराम मुण्डा पिता टुहलू मुण्डा जमाने की
नवाडीह ग्राम नावाडीह जिला राँची में नाम का
काई भी व्यक्ति नहीं है अतः नोटिस वापस किया
जा रहा है।
Sum